



दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्र. 16/2015 द्वारा स्थापित)

शासकीय वा.वा. पाटणकर, कन्या महाविद्यालय परिसर, रायपुर नाका, दुर्ग (छ.ग.)-491001

Email: academic@durguniversity Website: www.durguniversity.ac.in Phone & Fax 0788-2359400

क्र. 812 / अका. / 2017

दुर्ग, दिनांक : 06/07/17

|| अधिसूचना ||

एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 25 वीं बैठक दिनांक 19.04.2017 में प्रस्ताव क्रमांक 3 पर अध्यादेश क्रमांक 6 Examination (General) में प्रस्तावित संशोधन को मान्य किया गया है जो निम्नांकित है:-

| वि.वि. अधिनियम/अध्यादेश/परिनियम क्रमांक | वर्तमान प्रावधान | प्रस्तावित संशोधन |
|---|---|---|
| अध्यादेश 6 (भाग-5, कंडिका 26(3)) | If marks awarded in the paper by any of the two revaluers is higher than the marks given by the original examiner by more than 10% of maximum marks in the paper, the average of the marks awarded by the two nearest examiners shall be taken to represent the correct valuation. This average of marks shall be awarded to the candidate for the revision of his result. अधिसूचना क्रमांक 1608/अका./2005, रायपुर, दिनांक 29.06.2005 (पुनर्मूल्यांकन के पश्चात यदि छात्र मूल प्राप्तांक से कम अंक प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में कम हुए प्राप्तांकों के बराबर उसके प्राप्तांक माने जायेंगे।) (दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग द्वारा उपरोक्त प्रावधान को Notification No.-01/EST./2015, dated 16.11.2015 द्वारा अंगीकृत किया गया है।) | If marks awarded in the paper by any of the two revaluers is higher/lower than the marks given by the original examiner by 5% or more of maximum marks in the paper, the average of the two nearest awarded marks by the examiners shall be taken to represent the correct valuation. This average of the marks shall be awarded to the candidate for the revision of his/her result. The above provision shall be relaxed for even less than 5% of maximum marks if and only if the result status of the students in the concerned subject changes from fail to pass by considering the average of the two nearest marks awarded by the examiners. |

पुनर्मूल्यांकन से संबंधित शेष प्रावधान पूर्ववत लागू रहेंगे।

क्र. 813 / अका. / 2017
प्रतिलिपि:-

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
- सचिव, उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन मंत्रालय, नया रायपुर।
- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग महानदी भवन मंत्रालय, नया रायपुर।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी, द्वितीय/तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
- प्राचार्य, संबद्ध समस्त महाविद्यालय।
- समस्त विभागीय अधिकारी।
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहा., दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

कुलसचिव

दुर्ग, दिनांक : 06/07/17

कुलसचिव